न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 57 / 2021

हेतराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजपाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 16.03.2021, प्र. सं. 5 / 2020

उपस्थितिः—

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रधूमन सिंह परमार, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री रविन्द्र भोभिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 22.06.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टि[illegible] समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत पेश [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 8 जी जी आर [illegible] 99 / 286 के मुरब्बा [illegible] 57

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

के किला नम्बर 8 ता 13, 19 ता 22, पत्थर नम्बर 199/287 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/1, 2 कुल 2.644 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी चक के पत्थर नम्बर 196/276 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 15 ता 17, पत्थर नम्बर 199/281 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 13/1 व 13/3, पत्थर नम्बर 199/286 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 14, 17, 18, 23/2, 24, 25/1, पत्थर नम्बर 199/287 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2, 3, पत्थर नम्बर 201/279 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 13/1 की कुल 2.707 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में सवाय चक आराजी राज दर्ज है तथा इसी चक के खाता संख्या 397 में 5.768 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पत्थर नम्बर 199/286 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 15 में उत्तर से दक्षिण मंजूर शुदा चालू रास्ता के उत्तरी दिशा में से होकर किला नम्बर 14 जो रकबा राज है उससे अपनी कृषि भूमि किला नम्बर 13 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं सबसे नजदीकी रास्ता किला नम्बर 14 व 15 में से ही है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थी नियमानुसार राशि देने को तैयार है। अतः निवेदन है कि मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 14 व 15 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने के आदेश दिये जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पत्रावली बहस हेतु तय की गई। उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मौका देखकर निर्णय करने का निवेदन करने पर मौका निरीक्षण किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 16.03.2021 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि किला नम्बर 15 है एवं किला नम्बर 14 रकबा राज है। अप्रार्थी के किला नम्बर 15 में से ही रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट को इससे नजदीक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त रास्ता ही अत्यान्तिक आवश्यक है एवं आवेदित रास्ता लघुतम रूट से नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता का बिन्दु महत्वपूर्ण होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है। अपीलाधीन आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध हो जिसे स्वीकृत किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विरोधाभाषी पारित किया गया है, क्योंकि आवेदित रास्ता ही सबसे नजदीक पड़ता है जिससे अपीलांट अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है। पटवारी हल्का व गिरदावर [illegible] का निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदित रास्ता को ही [illegible]म बताया [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित [illegible] का निरीक्षण किया गया, लेकिन ऐसी कोई फर्द मौका पर तैयार नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए आवेदित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जाये। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2019 (1) डी. एन. जे. (राजस्थान) 113 की नजीर पेश की।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित है जिसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने के जो आधार लिये है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रार्थना पत्र में निस्तारण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विवेचन किया गयाः–

1. रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते का आभाव
3. नया मार्ग लघुत्तम रूट से हो।

8. इन बिन्दुओं के निष्कर्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि यद्यपि रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है पर पत्थर नम्बर 199/286 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 14, 15 में चाहा गया रास्ता लघुतम रूट से नहीं है। मात्र दो किलों में से रास्ता स्वीकृत करने पर इससे कम लघुतम रूट कौनसा हो सकता है यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया है, जबकि किला न[illegible]5 में [illegible]कृत करने से अपीलांट अपनी भूमि के किला न[illegible] में [illegible] सकता है। इसके अतिरिक्त अधी.न्यायालय ने अपने [illegible] दिनांक 16.03.2021 में यह अंकित किया है कि मौका देखा गया [illegible]तु ऐसा मौका निरीक्षण किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पक्षकार की उपस्थिति में किया गया ,यह उल्लेख नहीं किया गया न ही ऐसी मौका रिपोर्ट अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में नहीं माना जा सकता कि कोई मौका निरीक्षण किया गया हो । अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार ही आवेदित रास्ता ही निकटतम बताया गया है एवं उक्त रास्ता को ही अत्यान्तिक आवश्यकता रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं माना है, फिर भी आवेदित रास्ता को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तर्क के स्वीकार नहीं करने में विधिक भूल की है।

9. फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का आदेश दिनांक 16.03.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार कर आवेदित रास्ता चक 8 जी. जी. आर. के पत्थर नम्बर 199/286 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 14 व 15 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दो–दो बिस्वा चौड़ा रास्ता अपीलांट/प्रार्थी द्वारा डी एल सी की दुगुनी राशि अदा करने पर स्वीकृत किया जाता है। चूंकि किला नम्बर 15 की भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 की है। अतः उक्त भूमि में से स्वीकृत रास्ता की राशि रेस्पोडेंट संख्या 1 को दिलाई जावे एवं किला नम्बर 14 के संबंध में राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। डी. एल. सी की दुगुनी राशि जमा होने पर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

22/6/21
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner